उत्तर प्रदेश सरकार

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधानसभा मार्ग,

उ0प्र0,लखनऊ - 226001

दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806

Web-www.uppbpb.gov.in

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2018 की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑफलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किये जाने की प्रक्रिया

विज्ञप्ति

संख्याः पीआरपीबी-एक-1(141)/2018 दिनांकः नवम्बर 23 ,2018

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी0 की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे।

2- यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् है :-

(क)- जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(ख)- जनपद के मुख्य चिकित्सा द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी।

(ग)- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नही होंगे।

3- समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4- समिति नीचे की दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगी :-

(एक)- बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओ पर आधारित होगा।

(दो)- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(तीन)- शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार)- बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये उच्च दक्षता के उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(पांच)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण से परे हों और जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(छ:)- यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(सात)- परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुन: परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी।

23/11/17

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।